इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2013—फाल्गुन 17, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

मेट्रो प्लाजा, पंचम् तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल—462 016

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. 765-मप्रविनिआ-2013.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (1) सहपठित धारा 91(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 30 जनवरी 2009

द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 को निम्नानुसार संशोधित करता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में तृतीय संशोधन.

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 [एआरजी-6 (I) (iii), वर्ष 2013]" कहलायेंगे.

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे.

1.3 ये विनियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे.

2. **विनियमों में संशोधन.**—मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 जिसे इसके आगे प्रधान विनियम कहा जावेगा, में निम्नलिखित संशोधन किया जावें, अर्थात् :—

(i) प्रधान विनियम में विनियम 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :—

"**4. बचनबद्धता की कालावधि**

परामर्शी अपेक्षित न्यूनतम कालावधि के लिये वचनबद्ध होगा, जो कि सामान्यत: एक वर्ष से अधिक नहीं होगी. तथापि, आयोग के विवेक कर वचनबद्धता की कालावधि को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है."

(ii) प्रधान विनियम में विनियम 6(1) के अन्तर्गत शब्द "पच्चीस" के लिये शब्द "चालीस" प्रतिस्थापित किया जावे.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, the 5th March 2013

No. 765-MPERC-2013.—In exercise of powers conferred under section 181(1) read with Section 91(4) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in MPERC (Appointment of Consultants) (Revision-I) Regulations, 2009 which was notified on 30th January 2009 in Madhya Pradesh Gazette.

THIRD AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (APPOINTMENT OF CONSULTANTS) (REVISION-I) REGULATIONS, 2009.

1. **Short title and Commencement.**–1.1 These Regulations may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Revision-I) regulations, 2009 (Third Amendment) [ARG-6(I) (iii) of 2013].

1.2 These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

1.3 These Regulations shall extend to the entire State of Madhya Pradesh.

2. **Amendment to Regulations.**—In the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations (Revision-I) 2009, hereinafter called the 'Principal Regulations', the following amendments shall be made, namely :—

(i) In the Principal Regulations, the Regulation 4 shall be substituted as under :—

"**4. Period of engagement**

Consultants will be engaged for the minimum period required, which shall normally not exceed one year. However, the period of engagement may be extended as per requirement at the discretion of the Commission".

(ii) In the Principal Regulations, in Regulation 6 (1) for the words 'Twenty Five' the word 'Forty' shall be substituted.

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.